न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

मिसल नम्बर–19/2025

1.सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) एन0एच एवं उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 7/4/25

उपस्थितिः–

1.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा सक्षम अनुमोदन से उत्तरी कोटा बाईपास के निर्माण हेतु सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में भूमि अवाप्ति का कार्य किया गया था जिसके क्रम में प्रार्थी के कार्यालय से पत्र क्रमांक एफ–15/भू0अ0/2014/345–47 दिनांक 29.12.2014 द्वारा तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा को उत्तरी कोटा बाईपास के निर्माण हेतु अवाप्ति भूमि का सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में नामान्तरण व तरमीम कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था, पत्र की प्रति संलग्न है। उक्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम रामखेड़ली के मूल खसरा नम्बर 323 रकबा 1.64 है0 में से अवाप्त भूमि नवीन बटा खसरा नं0 346/323 रकबा 0.7110 है0 और पूर्व मूल खसरा नं0 322/399 रकबा 1.21 है0 में से अवाप्त भूमि नवीन बटा खसरा सं0 345/399 रकबा 0.2520 है0 के रूप में राजस्व जमाबन्दी रिकार्ड में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज कर दी गयी थी जोकि आज दिनांक तक यथावत दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड की तरमीम के सम्बन्ध में प्राधिकरण के तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि भू–नक्शा में अवाप्ति खसरा और शेष खातेदारी खसरा के मध्य की तरमीम लाईन अनुसार क्षेत्रफल की तुलना जमाबन्दी में दर्ज रकबो से करने पर अवाप्तशुदा खसरा सं0 346/323 के तरमीम क्षेत्रफल में कमी व खसरा सं0 345/399 के तरमीम क्षेत्रफल में अधिकता पायी गई। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जाना आवश्यक हो गया। शहर कोटा में प्रवेश करने वाले भारी वाहनो से होने वाली दुर्घटनाओ को रोकने के लिए ट्रैफीक को शहर के बाहर से ही डायवर्ट करने के क्रम में व

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व्यापक जनहित को देखते हुये वर्तमान में कोटा उत्तरी बाईपास सड़क का निमार्ण कार्य प्रगति पर है। उक्त बिन्दु संख्या 2 व 3 में वर्णित राजस्व जमाबन्दी में दर्ज रकबा व भू—नक्शा में हुई तरमीम में अन्तर के कारण सड़क निर्माण कार्य किसी प्रकार से बाधित ना हो और भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो इस कारण से रकबा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना जरूरी है।

प्रार्थना—पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि ग्राम रामखेड़ली में वर्तमान में ख0नं0 345/399 व ख0नं0 346/323 रकबा क्रमशः 0.2520 है0 व 0.7110 है0 भूमि खाता सं0 116 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मत्रालय भारत सरकार के दर्ज रिकार्ड है। जिसमें ख0नं0 346/323 की तरमीम भू—नक्शा पर रकबे से कम हो रही है तथा 345/399 की तरमीम भू—नक्शा में रकबे से अधिक हो रही है। भू—नक्शे में उपरोक्त दोनो खसरा नं0 की तरमीम रकबा अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र पत्र के कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की प्रति का अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि ख0नं0 346/323 की तरमीम भू—नक्शा पर रकबे से कम हो रही है तथा 345/399 की तरमीम भू—नक्शा में रकबे से अधिक हो रही है। भू—नक्शे में उपरोक्त दोनो खसरा नं0 की तरमीम अनुसार रकबा किया जाना अपेक्षित है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम रामखेड़ली पटवार हल्का ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा संख्या 346/323 एवं 345/399 की तरमीम रकबा अनुसार दुरूस्त किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 7/4/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा